क्रम संख्या 105

अर्ध शा० प० सं० 2494/43-2-99-14/2(68)/99

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

दूरभाष का० 221599, 238212
फैक्स 0522-239283

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2,
उत्तर प्रदेश शासन।
सचिवालय, एनेक्सी भवन,
लखनऊ 226001।

e mail csup@tw 1 vsnl net in
दिनांक 30, अक्टूबर, 1999।

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि सचिवालय नियम संग्रह के प्रस्तर-11 में यह व्यवस्था है कि विभिन्न प्रकार के मामलों में निर्णय का स्तर संबंधित मंत्री द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो यह निर्देश देंगे कि कौन सा मामला अथवा किस प्रकार के मामले उनकी व्यक्तिगत जानकारी में लाये जायेंगे और किस प्रकार के मामले सचिव अथवा उससे नीचे स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। मंत्री के ऐसे आदेश विभागीय स्थायी आदेशों में सम्मिलित किये जायेंगे। ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए सचिव शाखा के अन्य अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन के संबंध में तथा विभिन्न मामलों अथवा विभिन्न प्रकार के मामलों के निस्तारण के स्तर के संबंध में कोई भी निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के मामलों के निर्णय का स्तर संबंधित मंत्री द्वारा निर्धारित किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

2—इस पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार के मामलों के त्वरित निस्तारण कर प्रशासन में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के मामलों एवं उसके निर्णय के स्तर को अभिज्ञापित कर उक्त के संबंध में संबंधित मा० मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि उक्त निर्णय का स्तर निर्धारित कराते समय आन्तरिक कार्य बंटवारा इस प्रकार से कराया जाय कि अन्तिम निर्णयकर्ता को सम्मिलित करते हुए पत्रावली 04 से अधिक व्यक्तियों के पास न जाए।

3—कृपया उपर्युक्त आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा की गयी कार्यवाही से प्रशासनिक सुधार विभाग को अवगत करा दें।

भवदीय,
योगन्द्र नारायण

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।